संख्या-9/2016/549/18-2-2016-30(1)/2016

प्रेषक

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0,
कानपुर।

2- समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 12 अगस्त, 2016

विषय-उत्तर प्रदेश लघु एवं मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना-2016

महोदय,

प्रदेश के त्वरित आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह क्षेत्र कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार का सृजन करता है एवं निर्यात में भी इसकी 50 प्रतिशत की भागीदारी है। प्रदेश की तीव्र आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का समग्र एवं संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान में प्रदेश के पूर्वान्चल व बुन्देलखण्ड क्षेत्र औद्योगिक रूप से अति पिछड़े क्षेत्र है तथा प्रदेश का मध्यांचल क्षेत्र भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बैंको द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋणों पर उच्च ब्याज दर देय है, जिसके फलस्वरूप लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों की स्थापना प्रभावित होती है।

2- प्रदेश के इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने व इन पिछड़े क्षेत्रों में अधिकाधिक लघु व मध्यम औद्योगिक इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2016 के बिन्दु संख्या-2.4.3(3) के क्रम में प्रदेश के पूर्वान्चल, बुन्देलखण्ड व मध्यांचल क्षेत्र के जनपदों में उत्तर प्रदेश लघु एवं मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना संचालित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश लघु एवं मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना-2016 की रूपरेखा निम्नवत है-

1- योजना का शीर्षक — उत्तर प्रदेश लघु एवं मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना-2016

2- उद्देश्य — योजना का उद्देश्य प्रदेश के पूर्वांचल, मध्यान्चल व बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली नई लघु व मध्यम औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज पर उपादान प्रदान किया जाना है जिससे औद्योगिक क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित किया जा सके तथा पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर सृजित हो सके।

3- पात्रता — योजनान्तर्गत वे नई लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयां पात्र होंगी जिन्होंने योजना के प्रारम्भ होने (शासनादेश निर्गत होने की तिथि) के पश्चात् प्लान्ट एवं मशीनरी का क्रय किया हो तथा इस हेतु ऋण वितरण की प्रथम तिथि से दो वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो। परन्तु यदि इकाई द्वारा शासनादेश जारी होने के पूर्व ऋण लिया गया है लेकिन प्लान्ट एवं मशीनरी का क्रय एवं वाणिज्यिक उत्पादन शासनादेश जारी होने के बाद किया गया है तो पांच

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वर्ष की समयावधि की गणना शासनादेश जारी होने की तिथि से की जायेगी।

4- आच्छादित क्षेत्र

यह योजना प्रदेश के पूर्वान्चल, मध्यान्चल बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे स्थापित होने वाली समस्त लघु व मध्यम औद्योगिक इकाईयों हेतु लागू होगी।

5- परिभाषायें

1. लघु व मध्यम उद्योगों की परिभाषा वही होगी जैसा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 में दिया गया है।

2. "इकाई" का तात्पर्य ऐसी पात्र नई लघु व मध्यम औद्योगिक इकाई से है जिसके द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी का क्रय तथा वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात् किया गया हो तथा जिसने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरान्त जिला उद्योग केन्द्र में उद्योग आधार, मेमोरेन्डम दाखिल कर दिया हो।

3. "बैंक" का तात्पर्य समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) से है।

4. "पूर्वान्चल" का तात्पर्य फैजाबाद मंडल, गोरखपुर मण्डल, इलाहाबाद मंडल, वाराणसी मंडल, मिर्जापुर मण्डल, आजमगढ़ मंडल, देवीपाटन मंडल एवं बस्ती मंडल के जिलों से है।

5. "बुन्देलखण्ड" का तात्पर्य झांसी एवं चित्रकूट मण्डल के जिलों से है।

6. "मध्यांचल" का तात्पर्य कानपुर एवं लखनऊ मंडल के जिलों से है।

7. "ऋण वितरण की तिथि" का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन बैंक द्वारा इकाई को प्लान्ट एवं मशीनरी हेतु ऋण धनराशि की प्रथम किश्त उपलब्ध करा दी गयी हो।

8. "प्लान्ट एवं मशीनरी" का तात्पर्य ऐसे नये यंत्र एवं संयंत्र से है जिसमें मुख्य मशीनरी, जनरेटिंग सेट, डाई और मोल्डस् तथा इकाई की प्रकृति के अनुरूप इस प्रकार के अन्य समस्त यंत्र संयत्र से है जिनका उपयोग उत्पादन हेतु सहायक हो। पुराने यंत्र संयंत्र इत्यादि प्लान्ट एवं मशीनरी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होगें।

6- योजना का स्वरूप

1. योजनान्तर्गत प्रदेश के पूर्वान्चल व बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिलों (सी श्रेणी) में स्थापित होने वाली नई लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों को 7 प्रतिशत की दर से अधिकतम 3.00 लाख रूपये प्रति इकाई प्रति वर्ष की दर से पांच वर्षो तक तथा मध्यान्चल क्षेत्र के जिलों (बी श्रेणी) में 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 3.00 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष की दर से पांच वर्षो तक ब्याज उपादान उपलब्ध कराया जायेगा।

2. योजनान्तर्गत स्थापित होने वाली समस्त प्रकार की लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों हेतु यह सुविधा अनुमन्य होगी एवं इकाई को ऋण वितरण की तिथि से पांच वर्ष तक उपादान उपलब्ध कराया जायेगा।

3. योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इकाई को बैंक से सावधि ऋण प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात् इकाई को ऋण वितरण की प्रथम तिथि से दो वर्ष के भीतर प्लान्ट एवं मशीनरी का क्रय करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करना होगा,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिसके उपरान्त इकाई द्वारा अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन को प्रस्तुत किया जायेगा।

4. उपादान धनराशि का आंकलन प्लान्ट एवं मशीनरी हेतु बैंक द्वारा वितरित ऋण की धनराशि पर 5 अथवा 7 प्रतिशत, जैसा भी लागू हो, की दर से किया जायेगा।

5. योजनान्तर्गत महिला उद्यमियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण होगा।

6. योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति तथा जन जाति हेतु 10 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 10 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों हेतु 10 प्रतिशत, विकलांग हेतु 2 प्रतिशत तथा भूतपूर्व सैनिकों हेतु 3 प्रतिशत की प्राथमिकता दी जायेगी परन्तु तीन बार स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्तियों के प्रकाशित होने के बाद भी यदि इस श्रेणी के लाभार्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को इनके सापेक्ष उस वित्तीय वर्ष में चयनित किया जा सकेगा।

7- योजना के अन्तर्गत स्वीकृति की पात्रता

1. लघु व मध्यम औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तर संख्या-3 में उल्लिखित पात्रता की शर्तें पूर्ण की गयी हो।

2. योजनान्तर्गत लाभ उन्हीं इकाईयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्लान्ट एवं मशीनरी पर किसी प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।

3. इकाई द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो।

4. इकाई के पक्ष में बैंक द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी हेतु शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात् सावधि ऋण वितरित किया गया हो तथा वित्तीय वर्ष में देय ब्याज का भुगतान इकाई द्वारा सम्बन्धित बैंक को कर दिया गया हो।

5. यदि इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से छः माह के पश्चात् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो छः माह से उपर के विलम्ब की अवधि को पांच वर्ष की पात्रता अवधि से घटा दिया जायेगा।

8- उपादान स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया

1. योजनान्तर्गत लाभ प्राप्ति हेतु इकाई को सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ इकाई द्वारा उसे बैंक से प्लान्ट एवं मशीनरी हेतु वितरित ऋण के सापेक्ष भुगतान किये गये ब्याज का बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

2. समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए प्राप्त आवेदन पत्र की रसीद जिला उद्योग केन्द्र द्वारा इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों में प्राप्त प्रार्थना पत्रों को पंजिका में प्रथम आगत के आधार पर पंजीकृत किया जायेगा तथा इकाई का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

4. पात्र प्रार्थना-पत्रों को उपादान प्राप्त करने हेतु निर्णय लिये जाने हेतु निम्नवत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

1. जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी --अध्यक्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. अग्रणी बैंक प्रबन्धक --- सदस्य

3. ऋण देने वाले बैंक के मुख्य प्रबन्धक/प्रतिनिधि----सदस्य

4. उपायुक्त उद्योग----- सदस्य सचिव

उपरोक्तानुसार समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त उपायुक्त उद्योग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपादान देयता की स्वीकृति निर्गत कर दी जायेगी।

5. इकाई द्वारा स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर इकाई एवं उपायुक्त उद्योग के मध्य अनुबन्ध किया जायेगा।

9- भुगतान की प्रक्रिया

1. उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा स्वीकृत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग निदेशालय को वार्षिक मांग प्रेषित की जायेगी।

2. उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर उद्योग निदेशालय द्वारा उपादान की धनराशि जिला उद्योग केन्द्रों को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. निदेशालय से प्राप्त उपादान राशि को इकाई के पक्ष में 07 कार्य दिवसों में उपायुक्त उद्योग द्वारा अवमुक्त की जायेगी।

4. इकाई द्वारा अपेक्षित ब्याज एवं मूलधन की किश्तों का भुगतान बैंक को उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर ही करना होगा। यदि किन्हीं कारणों से भुगतान में इकाई डिफाल्टर हो जाती है तो उस किश्त के साथ दिये गये ब्याज पर उपादान देय नहीं होगा परन्तु यह अवधि पात्रता अवधि में सम्मिलित मानी जायेगी। ब्याज उपादान की देयता वार्षिक आधार पर ब्याज की गणना के आधार पर की जायेगी।

5. आगामी वर्षो में प्रत्येक वर्ष उपादान भुगतान के पूर्व इकाई की क्रियाशीलता को सुनिश्चित करने के लिए इकाई का स्थलीय निरीक्षण जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

10- ब्याज उपादान के लेखों का रख रखाव

जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों द्वारा ब्याज उपादान की वितरित धनराशि का विवरण लेखा एवं अन्य प्रपत्रों का सम्पूर्ण विवरण रखा जायेगा।

11- बजट की व्यवस्था

उपायुक्त, उद्योग,जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में ही अनुमानित मांग प्राप्त की जायेगी जिसके आधार पर शासन से बजट प्राप्त कर उपायुक्त, उद्योग को निदेशालय द्वारा बजट उपलब्ध कराया जायेगा। इस संबंध में किये जाने वाला व्यय बजट प्राविधान की सीमा तक सीमित रखा जायेगा। किसी भी परिस्थिति में इसे अगले वर्षो हेतु अग्रणीत नहीं किया जायेगा।

12- स्वीकृत ब्याज उपादान का निरस्तीकरण/वसूली

निम्नलिखित परिस्थितियों के घटित होने की दशा में सम्बन्धित इकाईयों को उपादान देय नहीं होगा एवं इकाई को ब्याज उपादान वितरित होने की दशा में वितरित धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।

1. जब किसी औद्योगिक इकाई द्वारा आवश्यक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके अथवा असत्य सूचना देकर उपादान प्राप्त किया गया हो।

2. जब किसी औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से पांच

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रमागत वर्षो की अवधि के अन्तर्गत उत्पादन कार्य स्थायी रूप से (नौ माह से अधिक) बन्द कर दिया गया हो अथवा दैवीय आपदा के कारण उत्पादन बन्द कर दिया गया हो एवं इकाई द्वारा सम्बन्धित घटना/व्यवधान के सम्बन्ध में जिला उद्योग केन्द्र को एक माह के अन्दर सूचना न दी गयी हो। इस सम्बन्ध में गठित जिला स्तरीय समिति का निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होगा।

3. जब कोई औद्योगिक इकाई निर्धारित विवरण व सूचना देने में असफल रहे।

13- इकाईयों द्वारा सूचनाओं का प्रस्तुत किया जाना

इकाईयों द्वारा उपायुक्त उद्योग स्तर से मांगी गयी सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। प्रतिवर्ष उनके द्वारा किये गये उत्पादन आदि के विवरण एवं आडिटेड वार्षिक लेखा/बैलेन्ससीट सम्बन्धित उपायुक्त उद्योग को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

14- अन्य

1. योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर ऐसे मामले जिला स्तरीय समिति को संदर्भित किये जायेगें।

2. विवाद के अनिस्तारित रहने पर प्रकरण आयुक्त एवं निदेशक उद्योग को सन्दर्भित किया जायेगा। निदेशक उद्योग द्वारा दी गयी व्यवस्था अन्तिम व सर्वमान्य होगी।

3. योजनान्तर्गत किसी विषयवस्तु पर स्पष्टीकरण का अधिकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उ0प्र0 शासन का होगा।

3- उत्तर प्रदेश लघु एवं मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना-2016 के लागू होने के फलस्वरूप प्रदेश में वर्तमान में प्रचलित महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना को समाप्त किया जाता है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

संख्या-9/2016/549(1)/18-2-2016-30(1)/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा आडिट (प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
4- स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6- संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, लखनऊ।
7- समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग/उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

आर0ए0 सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in